जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना
जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 1527-1547 डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 22-03-2021

हि.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश संख्या REV(DMC)(C)20-2/2021-COVID-19-III दिनांक 21-03-2021 और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना द्वारा जारी आदेश संख्या 1499-1518/डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 19-03-2021 की निरंतरता में यह आदेश किए जाते हैं कि:

1. हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सभी संस्थान एवं कार्यालय (निजी अथवा सरकारी) "NO MASK NO SERVICE" के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करेंगे अर्थात जो व्यक्ति मास्क या फेस कवर लगाकर आएगा उसी को दुकानों, स्कूलों, कॉलेजों, बसों तथा सरकारी एवं निजी संस्थानों में आने दिया जाएगा तथा सर्विस दी जाएगी।

2. दिनांक 23-03-2021 के उपरांत जिला में किसी भी धार्मिक स्थान या अन्य स्थलों पर कोई मेला आयोजित नहीं किया जाएगा अर्थात किसी भी प्रकार की अस्थायी दुकानों, अस्थायी ठहराव के प्रबन्धनों, सांस्कृतिक संध्याओं, लंगर/ भंडारे और भीड़ को एकत्रित करने वाले अन्य सभी आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। वर्तमान में चल रहे सभी मेलों का 23-03-2021 को समापन कर दिया जाए।

3. दिनांक 31-03-2021 तक छिंज/ कुश्ती/ दंगल/ कबड्डी जैसे खेलों के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

4. होली के त्यौहार पर सार्वजनिक/ सामूहिक आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगा। लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रियजनों के साथ घर पर ही होली का त्यौहार मनाएं।

5. जिन लंगर/ भंडारे/ सामूहिक भोज के कार्यक्रम की अनुमति उप मंडलाधिकारी (ना.) से प्राप्त की गई है केवल उन्हीं का आयोजन किया जा सकेगा। ऐसे सभी आयोजनों में भोजन परोसने वाले/ कैटरिंग कर रहे लोगों/ सेवादारों की आयोजन से 96 घंटे पूर्व प्राप्त की गई कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी, जिसे आयोजक सम्बंधित उप मंडलाधिकारी (ना.) को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

6. कन्टेनमेंट जोन की निगरानी के लिए निम्न तीन स्तरीय व्यवस्था रहेगी :

क्षेत्र	प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	तृतीय स्तर
ग्रामीण क्षेत्र	आशा वर्कर	पंचायत प्रधान एवं पंचायत सचिव	स्थानीय पुलिस
शहरी क्षेत्र	आंगनवाड़ी वर्कर	शहरी निकाय के वार्ड सदस्य एवं कार्यकारी अधिकारी	स्थानीय पुलिस

G-II
Circulate to field offices
23/03

25/3/21

Endst No. EDN-UC (G-II) COVID-19 / - 1274 26/03/2021
O/O DDEE UNA
Copy forwarded to All Principal / Headmaster / Incharges of GSSS/GHS/GMS All BEEO's / All Pvt. schools in Una District for information and necessary action.

913
26/03/2021

Deputy Director of Elementary
Education Una, Distt. Una (H.P.)

तीनों स्तर के कर्मचारी /प्रतिनिधि दैनिक रूप से यह निगरानी रखेंगे कि कन्टेनमेंट जोन का उल्लंघन न हो और उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत स्थानीय उप मंडलाधिकारी (ना.) को सूचित करेंगे। उप मंडलाधिकारी (ना.) सम्बंधित अधिकारियों के साथ कन्टेनमेंट जोन की अनुपालना की समीक्षा समय-समय पर करेंगे।

7. निम्न अधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए एस.ओ.पी (SOP) की पालना के लिए प्रतिदिन उनके नाम के आगे दर्शायी गई संस्था/ कार्यालय का निरीक्षण कर दैनिक रिपोर्ट जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) को व्हट्स ऍप नंबर 9459457476 और ईमेल ddmauna@gmail.com पर भेजेंगे।

क्र.सं.	*कार्य क्षेत्र*	*निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी /कार्यालय*
1	बसों का निरीक्षण	Regional Transport Officer, Una.
2	होटल/ रेस्टोरेंट /ढाबा का निरीक्षण	District Food and Supply Controller, Una.
3	औद्योगिक इकाईओं का निरीक्षण	General Manager, District Industries Center, Una.
4	बस स्टैंड का निरीक्षण	Regional Manager HRTC, Una.
5	स्कूलों का निरीक्षण	Deputy Director Elementary/Higher Education, Una.
6	कॉलेजों/ हॉस्टलों का निरीक्षण	Deputy Director Higher Education, Una
7	लंगर/ भंडारे /सामूहिक भोज एवं सांस्कृतिक/ सामाजिक /धार्मिक/ खेल-कूद /राजनैतिक कार्यक्रमों का निरीक्षण	All SDMs & Tehsildars, Naib Tehsildars and BDOs, Una as directed by respective SDMs.
8	भट्टों एवं कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण	Labour Inspector, Una.

उपरोक्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण दैनिक रूप से उनके एवं उनके निरीक्षकों द्वारा किए जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन स्थानों पर मास्क, सामाजिक दूरी एवं अन्य सम्बंधित शर्तों का सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। उप मंडलाधिकारी (ना.) उपमंडल स्तर पर सभी तरह के संस्थानों /स्थानों का दैनिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु ।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
4. समस्त उप मंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।

5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन एवं आशा वर्कर स्तर तक प्रसार हेतु ।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
7. जिला उद्योग केंद्र, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
8. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
9. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
10. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
11. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन एवं पंचायत स्तर तक प्रसार हेतु ।
12. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई सी डी एस), ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन एवं आंगनवाड़ी स्तर तक प्रसार हेतु ।
13. उप निदेशक उच्च शिक्षा, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
14. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
15. श्रम निरीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
16. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।
17. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जिला ऊना ऊना (हि.प्र.)
18. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।